न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 04 / 2017 दिनांक 14 / 02 / 2017

प्रथम पक्ष – श्री नवल किशोर साहु पिता बालमोहन साहु सा0 मोरेंग (बसिया) बगैरह.....।

बनाम

द्वितीय पक्ष – श्री तिजू साहु पिता गोवरधन साहु सा0 मोरेंग (बसिया) बगैरह.....।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 01 / 2017 दिनांक 08 / 02 / 2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) श्री नवल किशोर साहु उम्र 43 वर्ष पिता बालमोहन साहु (2) रवि किशोर साहु उम्र 40 वर्ष पिता बालमोहन साहु (3)दिनेश साहु उम्र 35 वष्र पिता बालमोहन साहु (4) सुधाकर साहु उम्र 26 वर्ष पिता बालमोहन साहु सभी सा0 मोरेंग। । **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) तिजु साहु उम्र 35 वर्ष (2) तपेश्वर साहु दोनो पिता गोवरधन साहु (3) दिनेश साहु उम्र 40 वर्ष (4) रमेश साहु दोनो पिता महावीर साहु (5) सचन साहु उम्र 45 वर्ष पिता बालकिशुन साहु सभी सा0 मोरेंग के द्वारा आपसी विवाद एवं ग्रामीण राजनीति को लेकर विवाद है। जिसके कारण उभय पक्षों के बीच विधि व्यवस्था भंग कर अशांति फैलाने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :–

प्रथम पक्ष के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकार की ओर से लिखित कारण पृच्छा दाखिल किये है जिसमें लिखते है कि प्रस्तुत 107 द0प्र0सं0 की कार्यवाही प्रथम पक्ष के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है अतः प्रथम पक्ष के हित में निष्पादन करते हुए द्वितीय पक्ष के सदस्य को शांति कायम करने हेतु बंध पत्र निष्पादित करने की आदेश देने की कृपा की जाय।

यह कि प्रस्तुत वाद ग्रामीणों राजनीतिक को लेकर है। चूँकि प्रथम पक्ष के पिता बालमोहन साहु वार्ड सं.03 ग्राम पंचायत मोरेंग थाना बसिया के वार्ड सदस्य है और वार्ड सदस्य होने के नाते प्रथम पक्ष के पिता बालमाहन साहु द्वितीय पक्ष तपेश्वर साहु को सामुदायिक भवन मोरेंग मे होटल चलाने से मना किया गया जिससे खिन्न होकर प्रथम पक्ष के पिता बालमोहन साहु को द्वितीय पक्ष के द्वारा जान से मारने की धमकी दे रहे है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

14/02/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

यह कि पूर्व में दिनांक 05/09/2016 को गणेश पूजा के समय सामुदायिक भवन में जब नाच गान हो राह था उस समय भी प्रथम पक्ष के पिता को जान से मारने की धमकी द्वितीय पक्ष के द्वारा दी गई थी जिसकी लिखित सूचना थाना प्रभारी बसिया को दिनांक 09/09/2016 को दी गई है।

यह कि प्रथम पक्ष के पिता एक ईमानदार और जागरूक वार्ड सदस्य है और द्वितीय पक्ष राजनीतिक संरक्षण से प्रथम पक्ष के पिता को नियम के विरूद्ध इंदिरा आवास आवंटन करने के लिये दबाव देते है। जबकि एक बार द्वितीय पक्ष को इन्दिरा आवास आवंटित हो चुका है।

यह कि वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष के द्वारा सामुदायिक भवन के बगल में रास्ता अवरूद्ध कर होटल चलाया जा रहा है जिसे आमलोगों को आने जाने में परेशानी होती है। मना करने पर देख लेने की धमकी देते है। प्रथम पक्ष शांतिप्रिय व्यक्ति है और कानून को माननेवाले है जबकि द्वितीय पक्ष झगड़ालु किस्म के व्यक्ति है और कभी भी प्रथम पक्ष के विरूद्ध कोई अप्रिय घटना कर सकते है।

द्वितीय पक्ष के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकार की ओर से लिखित कारण-पृच्छा दाखिल किये है जिसमें लिखते है कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में धारा 107 के अंतर्गत मुकदमा किया गया है वह खारिज करने योग्य है।
यह कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष एक ही ग्राम के रहने वाले है एवं एक जाति समुदाय के हैं। नाता रिश्ता में दोनो पक्ष भाई भतीजा चाचा लगते है।

यह कि द्वितीय पक्ष के लोग शांन्ति-प्रिय एंव कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है। जबकि प्रथम पक्ष के लोग कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति है। यह कि आवेदन वालमोहन साहु पंचायती चुनाव के वार्ड सदस्य के पद पर खड़ा हुए थे और निर्वाचित हुए है। उनका कहना है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य आवेदक के विरूद्ध में मतदान किया है। यह कि द्वितीय पक्ष के सूचन साहु का बी0पी0एल0 बना है जिसका सं0 11316 है। इंदिरा आवास की सूची में नाम जोड़ने के लिए द्वितीय पक्ष के महिला सदस्य शांति देवी एवं पतोहु राधिका देवी आवेदन के घर गये तो आवेदन वोट दिए है जो आप लोग इंदिरा आवास मांगने आए है, और फटकार भी किया गया।

यह कि द्वतीय पक्ष के तपेश्वर साहु ने मोरेंग गॉव के सामुदायिक भवन के किनारे रोड में ठेला लगाकर होटल का काम करता है जो प्रथम पक्ष के लोग चिढ़ से होटल चलाने का काम सामुदायिक भवन के पास नहीं करना है इसी बात को लेकर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच में कहा सुनी हुआ है जो द्वितीय पक्ष का भी कहना है कि गैर मजरूआ भूमि में घर बनाये है उसको छोड़ दीजिए। इस बात पर प्रथम पक्ष के आवेदक द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में गलत सलत आरोप लगा कर धमकी का मुकदमा कर दिया है।

यह कि द्वितीय पक्ष के तपेश्वर साहु ने सामुदायिक भवन के किनारे रोड में होटल लगाना बन्द कर दिया है। प्रथम पक्ष के आवेदन ने गैर मजरूआ भूमि में अवैध कब्जा कर घर निर्माण किया गया है। द्वितीय पक्ष की तरफ से शांति भंग होने की संभावना नही है बल्कि प्रथम पक्ष की तरफ से शांति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष की तरफ से शांति भंग हो सकता है।

उभय पक्षो के द्वारा न्यायालय के बाहर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपसी सुलहनामा कर लिए है एवं लिखित सुलहनामा पत्र न्यायालय में दाखिल किये है जिसमें उभय पक्ष

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

14/06/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

वाद की कार्रवाई आगे नहीं बड़ाना चाहते है, एवं भविष्य में उक्त मामला को लेकर विवाद नही करेगे। उभय पक्ष आपसी सुलहकर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु अनुरोध किये है।

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं जवाब, बहस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मामला सामुदायिक भवन में होटल (ठेला) लगाने से आम जनो को आने जाने में कठिनाई को देखते हुए प्रथम पक्ष के सदस्यो द्वारा बसिया थाना में अप्राथमिकी दर्ज किया गया था। वाद की कार्रवाई के दौरान ही द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा लगाये जाने वाला होटल (ठेला) को हटा दिया गया है यह बात आवेदक ने भी (प्रथम पक्ष) ने भी स्वीकार है। उभय पक्षो द्वारा आपसी सुलह कर अधिवक्ताओ के माध्यम से सुलहनाम पत्र दाखिल किये है।

वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। अतः उभय पक्षो द्वारा दाखिल सुलहनामा पत्र के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

14/06/10
अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

प्रतिलिपि :- अंचल - अधिकारी, बसिया, अतिक्रमित गैरमजरूआ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें।

14/06/10
अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.27 12:48:23 +05:30
Location: 192.168.1.4